लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / पी / 675 भोपाल, दिनांक 04–08–2009

प्रति,

1. **समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश**
2. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश**
3. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश**

विषयः– हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण तथा स्वरूप ।

हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में दिनांक 25 / 07 / 2009 को मान. मंत्री स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण तथा स्वरूप निम्नानुसार रहेगाः--

1. **लक्ष्य समूहः–** मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 2984 हाईस्कूल एवं 1731 हायरसेकेण्ड्री तथा आदिवासी विकास विभाग के 692 हाईस्कूल, 523 हायरसेकेण्ड्री स्कूल एवं 12 आवासीय विद्यालय हैं। इन स्कूलों में पदस्थ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत के विषय शिक्षकों यथा व्याख्याता, शिक्षक, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक आदि को प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण में अतिथि शिक्षक शामिल नहीं किये जायें।

2. **प्रशिक्षण के विषयः–**
प्रशिक्षण के विषय निम्नानुसार रहेंगेः–
हाईस्कूल :– अंग्रेजी, संस्कृत, गणित तथा विज्ञान
हायरसेकण्ड्री :– अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स, केमेस्ट्री,

3. **प्रशिक्षण सामग्री :–**
05 दिवसीय प्रशिक्षण में संबंधित विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित कठिन अंशों का शिक्षण, संबंधित विषय की आधारभूत दक्षताओं का विकास, प्रश्नपत्रों की संरचना, ब्ल्यू प्रिन्ट के आधार पर इकाईवार शिक्षण, अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के प्रशिक्षण में संबंधित भाषा में संभाषण कौशल का विकास, संबंधित विषय के माड्यूल का शिक्षण दिया जाये।

4. **राज्य स्तरीय स्रोत शिक्षकों का चयन एवं उन्मुखीकरण :–**
प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 राज्य स्तरीय स्रोत शिक्षकों का चयन विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्वयं सेवी संगठन (एन.जी.ओ.) संस्कृत भारती, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान हैदराबाद, क्षेत्रीय विज्ञान संस्थान भोपाल, केन्द्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालयों उत्कृष्ट विद्यालयों, शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत विषय विशेषज्ञों / सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञों आदि में से किया

6.4 जिस विषय के प्रशिक्षण में विद्यालय के शिक्षक/प्रशिक्षक/प्रशिक्षणार्थी के रूप में शामिल हों उस विषय में प्रशिक्षण अवधि के लिए अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर ली जाये ताकि विद्यालय का अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं हो।

6.5 प्रशिक्षण के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों का प्रीटेस्ट एवं प्रशिक्षण के पश्चात् पोस्ट टेस्ट लिया जायेगा। प्रशिक्षण व्याख्यान पद्धति पर आधारित न होकर क्रियात्मक एवं प्रयोजनात्मक पद्वति पर होगा।

6.6 अंग्रेजी तथा संस्कृत का प्रशिक्षण संभाषण पद्धति प्रर आधारित होना चाहिए। भाषाओं के प्रशिक्षण को इस प्रकार डिजायन किया जाये कि प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों में संभाषण कौशल विकसित हो सके तथा सरल भाषा में वे व्यवहार करने में सक्षम हो सकें।

6.7 प्रशिक्षण स्थल पर प्रेरणास्प्रद पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगीं। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी यदि पुस्तकें क्रय करना चाहते हों तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में रुपये 200/– प्रदाय किये जायें।

6.8 प्रशिक्षण स्थल पर कोटेशन, नीतिवाक्य, प्रेरक फोटोग्राफ्स आदि लगाये जायें।

6.9 प्रशिक्षण स्थल पर साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये।

6.10 भोजन अत्यन्त गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

6.11 अंग्रेजी के ऐसे प्रशिक्षकों का ही चयन किया जाये जो हिन्दी में भी दक्ष हों।

6.12 प्रशिक्षण में प्रातःकाल योग एवं शाम को मनोरंजन हेतु व्यवस्था की जाये।

6.13 शाम को व्यक्तित्व विकास पर आधारित कक्षाओं का आयोजन किया जाना उचित होगा। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस एवं द्वितीय दिवस मूल्य आधारित तथा नीति परक परिचर्चा का आयोजन किया जाये।

6.14 दोंनों समय का भोजन निम्नानुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रारंभ किया जाये।

अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है,
किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है।
हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में,
लग जाये तन, मन, धन मेरा मातृभूमि की सेवा में।।

6.15 सभी प्रशिक्षणार्थियों को लेमिनेटिड तथा आकर्षक परिचय पत्र दिये जायें जिसनें **"राष्ट्रऋषि"** अंकित हो।

6.16 समय विभाग चक्र तैयार करते समय त्योहारों को शामिल नहीं किया जाये।

6.17 आवास एवं भोजन की व्यवस्था का दायित्व संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक तथा प्रशिक्षण आयोजित कराने वाली संस्था के प्रमुख का होगा।

6.18 आवास – प्रति शिक्षक रुपये 100/–, भोजन – प्रति शिक्षक रुपये 150/– तथा टी.ए.– प्रति शिक्षक रुपये 400/– के मान से अधिकतम राशि व्यय की जा सकेगी।

7. प्रशिक्षण का समय विभाग चक्रः–

यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होगा। प्रशिक्षण का समय विभाग चक्र आयोजक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जायेगा। समय विभाग चक्र में 01 घण्टा योग, 02 घण्टा मनोरंजक गतिविधियां तथा 07 घण्टा शिक्षण हेतु सुनिश्चित किये जायें।

8 . प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति

प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना संबंधित संस्था प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक का होगा। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं उन्हें आगामी

प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। जिन जिलों/संभागों के शत–प्रतिशत विषय शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होंगे वहां के जिला शिक्षा अधिकारी तथा संभागीय संयुक्त संचालक को भी उत्तरदायी माना जायेगा।

9. मानिटरिंग :–

प्रशिक्षण की मानिटरिंग आयुक्त लोक शिक्षण तथा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र प्रशिक्षण आयोजित करने वाली संस्थाओं, संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

10. प्रशिक्षण प्रतिवेदन तथा डाक्यूमेंटेशन :–

प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षण का प्रतिवेदन आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा आयुक्त, लोक शिक्षण को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रतिवेदन में जिला अंतर्गत कुल शिक्षकों की संख्या प्रशिक्षित किये गये शिक्षकों की संख्या तथा शेष शिक्षकों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

(बी. आर. नायडू)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन/क्रमांक/विद्या/पी/676 भोपाल, दिनांक 04–08–2009

प्रतिलिपि

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश
2. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म. प्र.
4. आयुक्त आदिवासी विकास म. प्र.
5. आयुक्त जनसंपर्क म. प्र.
6. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश
7. निदेशक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश
8. संचालक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर
9. निदेशक गणित विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल
10. संचालक आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

जाये। इस हेतु विज्ञापन के माध्यम से भी आवेदन आमंत्रित किये जायें। चयनित स्रोत शिक्षकों को राज्यस्तर पर 24 से 28 अगस्त 2009 तक उन्मुखीकरण भी किया जाये। चयन किये गये स्रोत शिक्षकों को प्रतिदिवस प्रतिकाल खण्ड राशि रुपये 300/– की पात्रता होगी। एक दिन में अधिकतम 03 कालखण्ड ले सकेंगे।

5. राज्य स्तरीय स्रोत शिक्षकों के उन्मुखीकरण हेतु विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला
राज्य स्तरीय स्रोत शिक्षकों के पूर्व विषय विशेषज्ञों की दिनांक 09–10 अगस्त 2009 को कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसमें माड्यूल के संबंध में तथा प्रशिक्षण में किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, इस संबंध में तथा स्रोत शिक्षकों का चयन एवं उन्मुखीकरण के संबंध में चर्चा की जायेगी।

6. राज्यस्तरीय विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण का स्वरूप :–

6.1 राज्यस्तरीय प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं:–
राज्यस्तरीय प्रशिक्षण निम्नानुसार संस्थाओं द्वारा उनके समक्ष में अंकित स्थानों पर दिया जायेगा एवं अंतिम कालम में अंकित संस्था व्यय वहन करेगी :–

विषय	कक्षा	प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम	प्रशिक्षण स्थल	व्यय वहन वाली संस्था का
अंग्रेजी	हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री	आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल	भोपाल	राज्य शिक्षा भोपाल
संस्कृत	हाईस्कूल	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल	इन्दौर	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल
गणित	हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री	गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	भोपाल	माध्यमिक शि मण्डल भोपाल
विज्ञान	हाईस्कूल	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर	जबलपुर	राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
फिजिक्स, केमेस्ट्री,	हायरसेकेण्ड्री	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर	जबलपुर	राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

आदिवासी विकास विभाग के व्याख्याता/शिक्षकों के टी.ए./डी.ए. की राशि तथा माड्यूल की राशि संबंधित विषय के उक्तानुसार संस्थानों को आदिवासी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल पर ही रुकना अनिवार्य होगा।

6.2 प्रशिणार्थियों को प्रशिक्षण के एक दिवस पूर्व अपनी उपस्थिति देना होगी। वे जाने का रिजर्वेशन प्रशिक्षण समाप्ति के दिवस रात्रि 8.00 बजे से पूर्व की ट्रेन का नहीं करायेंगे।

6.3 यह प्रशिक्षण प्रति बैच 5 दिवसीय होगा। विषय शिक्षकों का प्रशिक्षण 01 सितम्बर 2009 से प्रारंभ किया जायेगा तथा यह प्रशिक्षण तब तक अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक कि संबंधित विषय के प्रदेश के सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण न हो जाये। प्रदेश के सभी जिलों के विषय शिक्षकों का प्रशिक्षग चक्रानुक्रम में सम्पन्न होगा ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।